न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 09/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
श्री रमेशचन्द्र पुत्र श्री बादरिंगजी जाति पुरोहित निवासी नानरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		1. श्रीमती सजनादेवी पत्नि श्री मानाजी जाति पुरोहित निवासी नानरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही। 2. सरपंच ग्राम पंचायत नितौडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–

1. श्री प्रमोद कुमार दवे अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक की ओर से।
3. श्री उमेश कुमार पटेल, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 01.08.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, नितौडा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 15 दिनांक 23.01.1997 क्षेत्रफल 1350 वर्गफुट को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 267 के तहत जारी किया गया है, जो विधिविरूद्ध है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री उमेश कुमार पटेल ने जरिये वकालतनामा के उपस्थिति दी। प्रकरण मे दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को नियमो के विपरित पट्टा संख्या 15 दिनांक 23.01.1997 क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट जारी किया है। प्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया है कि प्रार्थी का गांव नानरवाडा में आवासीय मकान आया हुआ है, जो प्रार्थी का 50 वर्षों से अधिक वर्षों से बनी पुरानी आवासीय स्थान पर नया मकान बना कर प्रार्थी परिवार सहित निवास कर रहा है, जिस पर प्रार्थी द्वारा अपने पुत्र श्री चन्दनराज पुरोहित के नाम से विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा कुछ समय पूर्व प्रार्थी को यह कहा कि आपका मकान जहां बना हुआ है वह भूमि मेरी पट्टेशुदा भूमि है। इसलिए इसे खाली करो, तब प्रार्थी ने कहा कि उक्त भूमि करीब 50 वर्षों से हमारे कब्जे भोगवटे की है, जिस पर आपका पट्टा कैसे हो सकता है। तब अप्रार्थी संख्या एक ने बताया कि मेरा पट्टा सन् 1997 से बना हुआ है और मकान आपको खाली करना पडेगा एवं अप्रार्थी संख्य एक व उसके पति ने प्रार्थी के विरूद्ध उक्त

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

पट्टे के आधार पर कई शिकायत भी की है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक के पट्टे व अन्य रेकर्ड की सत्य प्रति प्रार्थी ने सूचना के अधिकार के तहत मांगी तब जानकारी हुई कि उक्त पट्टे से सम्बन्धित ग्राम पंचायत में न तो कोई मिसल उपलब्ध है और ना ही पट्टे के सम्बन्ध में पंचायत रजिस्टर में कोई इन्द्राज है एव ना ही ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा पट्टा विधि अनुरूप प्रक्रिया अपना कर जारी किया है। अप्रार्थी संख्या एक ने तत्कालीन सरपंच से मेल मिलाप कर बिना किसी कब्जे के अधिकार के आधार के तथा बिना कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाए फर्जी रूप से पट्टा प्राप्त किया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। यह कि उक्त तथाकथित पट्टे में दर्ज चतुर्दशी भी प्रार्थी के पट्टे से मिलान नहीं कर रही है एव ना ही अप्रार्थी संख्या एक का प्रार्थी के मकान पर कभी किसी प्रकार का कब्जा रहा है एव ना ही अप्रार्थी संख्या एक का प्रार्थी के मकान से किसी प्रकार से कोई सरोकार है। अप्रार्थी संख्या एक ने तत्कालीन ग्राम पंचायत नितौडा से गलत रूप से बिना किसी हक अधिकार के पट्टा प्राप्त किया है, जो निरस्त किए जाने योगय है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी विवादित पट्टा संख्या 15 दिनांक 23.01.1997 क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या एक के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 267 के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। अप्रार्थी संख्या–दो द्वारा इस संबंध मे कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है। यह कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के उक्त पट्टा संख्या 1996–97 में जारी किया गया था एवं मौके पर कब्जा अप्रार्थी संख्या एक को सुपूर्द किया था तब अप्रार्थी संख्या एक द्वारा वहां पर 15–20 ट्रॉली पत्थर रखवाए थे एवं कच्चा झोंपडा बनाकर उसका उपयोग उपभोग करते आ रहे थे। प्रार्थी वर्ष 2005 में ग्राम पंचायत नितौडा में सरपंच पद पर कार्यरत रहा है एवं सरपंच कार्यकाल के दौरान प्रार्थी ने ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर परकोटा निकाला था तथा उस परकोटे के अन्दर अप्रार्थी संख्या एके की पट्टेशुदा भूमि को भी सम्मिलित कर परकोटा निकाला था जिस पर अप्रार्थी संख्या एक द्वारा उसी समय उलाहना दिया था तब प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या एक को आश्वस्त किया था कि वह अप्रार्थी संख्या एक की पट्टेशुदा भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा एवं अप्रार्थी संख्या एक उक्त भूमि के उपयोग उपभोग हेतु स्वतंत्र है, लेकिन प्रार्थी ने उक्त परकोटा नहीं हटाया जिस पर अप्रार्थी संख्या एक द्वारा उच्चाधिकारियों को अवश्य शिकायत की गई थी तब पंचायत समिति पिण्डवाडा की ओर से इस सम्बन्ध में जांच भी करवाई गई तथा ग्राम पंचायत नितौडा को नियमानुसार कार्यवाही कर अप्रार्थी संख्या एक के पट्टेशुदा भूमि पर प्रार्थी द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने और परिवादिया को नियमानुसार कब्जा देने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। चूंकि वर्तमान में जोशनादेवी ग्राम पंचायत नितौडा की सरपंच है, जो प्रार्थी की पत्नि है। इस प्रकार प्रार्थी की पत्नि ने उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देश देने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या एक को उसके पट्टेशुदा सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। यह है कि प्रार्थी व वर्तमान सरपंच ने ग्राम पंचायत की काफी आबादी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है जिसकी शिकायत भी कई बार ग्राम वासियान द्वारा की गई लेकिन उस पर भी किसी प्रकार की कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। अब विकास अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा की गई जांच रिपोर्ट तथा राजस्थान सरकार के सम्पर्क पोर्टल पर अप्रार्थी संख्या एक के प्रकरण का निस्तारण कर अप्रार्थी संख्या एक को कब्जा सुपूर्द करने का आदेश दिया गया था लेकिन उसकी पालना नहीं की गई है और अब अप्रार्थी को हैरान परेशान करने एवं उक्त पट्टेशुदा सम्पत्ति से महरूम करने के बदईरादे से प्रार्थी ने गलत कथनों के आधार पर यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि प्रार्थी को यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई कारण पैदा ही नहीं होता है। प्रार्थी मात्र एक अतिक्रमी है तथा प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

एक के पट्टेशुदा सम्पत्ति पर कब्जा करने का कानूनन कोई हक व अधिकार नहीं है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक के पट्टेशुदा सम्पत्ति पर प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई मकान बना हुआ नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या एक के पट्टेशुदा सम्पत्ति को व ग्राम पंचायत की काफी आबादी भूमि को मिलाते हुए अवश्य एक परकोटा का निर्माण किया है तथा उस परकोटे में दो बडे–बडे गेट लगाए है, जिसका कि प्रार्थी को कोई कानूनन हक अधिकार नहीं है। यह है कि उक्त पट्टा जारी होने की प्रार्थी को शुरूआत से ही जानकारी थी, उक्त पट्टा जारी होने के 25 वर्ष पश्चात यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो प्रथम दृष्टया अवधि बाहर होने से खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थी ने केवल मात्र अप्रार्थी संख्या एक को हैरान परेशान करने की नियत से यह निगरानी प्रस्तुत की है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज करना फरमायें।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री उमेश कुमार पटेल द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि उक्त विवादित पट्टे की भूमि पर प्रार्थी का 40X14 फुट की भूमि पर प्रार्थी द्वारा पक्का निर्माण किया हुआ है। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा ग्राम पंचायत नितौडा को प्रस्तुत अपने निःशुल्क पट्टेशुदा भूखण्ड का कब्जा दिलाने बाबत् प्रार्थना पत्र दिनांक 28.01.2022 के निस्तारण हेतु ग्राम पंचायत नितौडा की बैठक दिनांक 18.02.2022 के प्रस्ताव संख्या 02 द्वारा वार्ड सदस्यों की कमेटी गठित कर वस्तुस्थिति हेतु उक्त कमेटी ने दिनांक 09.03.2022 को मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसके अनुसार मौके पर प्रार्थी के पुत्र चन्दन के नाम से विद्युत सम्बन्ध होना पाया गया है। यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक के मध्य हुए विवाद की जानकारी ग्राम पंचायत नितौडा को दिनांक 28.01.2022 को अप्रार्थी संख्या एक द्वारा शिकायत प्रस्तुत करने पर हुई, जिस पर जांच करवाने पर मौके पर प्रार्थी का कब्जा पुराने समय से होना पाया गया एवं मौके पर प्रार्थी द्वारा 20 वर्ष पूर्व परकोटा निर्माण करवाते समय भी अप्रार्थी संख्या एक द्वारा किसी प्रकार का विरोध अथवा शिकायत पेश नहीं की गई थी। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक के कब्जे पट्टा संख्या 15 के सम्बन्ध में कोई मिसल ग्राम पंचायत कार्यालय में नहीं है और न ही उक्त पट्टे पर मिसल संख्या अंकित है तथा उक्त पट्टे के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत नितौडा के बैठक रजिस्टर का अवलोकन करने से किसी प्रकार का उक्त पट्टे के सम्बन्ध में प्रस्ताव व निर्णय होना नहीं पाया गया। यह कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद पर अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष अनुसार भी अप्रार्थी संख्या एक के पट्टे की चतुर्दशी का मिलान आबादी प्लान नहीं होने से नहीं हो रहा है। विवादित भूखण्ड की मौके पर वर्तमान स्थिति अनुसार उत्तर दिशा में गली बाद हिम्मतराम पुत्र अचलिंगजी पुरोहित का मकान है, दक्षिण दिशा में दलपतराम पुत्र श्री बादरिंग जी पुरोहित का भूखण्ड है, पूर्व दिशा में माधुराम पुत्र श्री वगतिंगजी का भूखण्ड तथा पश्चिम दिशा में आम रास्ता व दरवाजा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि न्यायोचित आदेश जारी करावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

अप्रार्थी संख्या एक को उक्त विवादग्रस्त पट्टा संख्या 15 दिनांक 23.01.1997 क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट ग्राम पंचायत, नितौडा द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 267 के तहत जारी किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा लगभग 20 वर्ष पूर्व परकोटा का निर्माण करवाया गया था, उस वक्त अप्रार्थी संख्या एक द्वारा ग्राम पंचायत नितौडा में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्रस्तुत नेहीं की गई थी, जबकि अप्रार्थी संख्या एक

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

को वर्ष 1997 में ही पट्टा जारी हो गया था, परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अप्रार्थी संख्या एक द्वारा कब्जा दिलाने बाबत शिकायत 30.12.2021 को की गई थी। अतः अप्रार्थी संख्या एक द्वारा किया गया कथन कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा वर्ष 1997 में 20 ट्रॉली पत्थर डलवाए एवं उस पर झोंपडा बनाया, जिस पर प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया गया है, मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा डलवाए गए 20 ट्रॉली पत्थर डलवाए एवं बनाए गए झोंपडे पर प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण किया गया होता तो उस वक्त अप्रार्थी संख्या एक द्वारा किसी भी प्रकार की कोई शिकायत या मुकदमा दर्ज करवाया जाना चाहिए था, परन्तु पत्रावली पर ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो यह साबित करता हो कि उक्त अतिक्रमण के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा वर्ष 1997 में कोई शिकायत या मुकदमा दर्ज करवाया गया हो। अप्रार्थी संख्या एक को उक्त विवादित पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 267 के तहत जारी किया गया है, जिसकी शर्त संख्या आठ के अनुसार आवंटन के दो वर्ष के अन्दर मकान या झोंपडा इत्यादि बनवाना होगा, यदि इस अवधि में यह कार्य नहीं किया गया तो भूखण्ड वापस लेने का अधिकार आवंटन अधिकारी को होगा, जिसमें विशेष कारणों में आवंटन अधिकारी दो वर्ष से अधिक समय की वृद्धि भी कर सकता है, परन्तु पत्रावली पर ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा पट्टे प्राप्ति के दो वर्ष के अन्दर मकान या झोंपडा इत्यादि बनवाया गया हो। अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा की गई जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में यह अंकित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या एक कब्जा प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। इससे स्पष्ट है कि उक्त विवादित पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या एक का कब्जा नहीं है एवं अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता द्वारा भी यह स्वीकार किया गया है कि उक्त विवादित पट्टे की भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा उक्त पट्टे की शर्त संख्या आठ का उल्लंघन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 23.01.1997 पर मिसल संख्या एवं प्रस्ताव संख्या अंकित नहीं है एवं न ही इससे सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कोई मिसल एवं बैठक रजिस्टर ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध है। अतः प्रस्ताव के अभाव में जारी आवंटन एवं विक्रय विलेख विधि विरूद्ध प्रतीत होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा की गई जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी की भूमि एवं अप्रार्थी संख्या एक को जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 23.01.1997 की भूमि की चतुर्दशी से भी कोई मिलान नहीं हो रहा है। अतः इससे प्रतीत होता है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि का मौका निरीक्षण किए बिना ही ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा पट्टा संख्या 15 दिनांक 23.01.1997 जारी किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 23.01.1997 क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट को निरस्त किया जाता है। साथ ही ग्राम पंचायत नितौडा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूखण्ड की मौके पर क़ब्जे व मालिकी स्वामित्व की जांच कर एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार विधि सम्मत कार्यवाही करें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner